



तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:27320-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) 1649/2017

श्रीमती अनीता अग्रवाल, पति श्री अशोक अग्रवाल, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी जैन मंदिर रोड, क्रांति नगर, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. कलेक्टर, बिलासपुर, कलेक्ट्रेट, नेहरू चौक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-उप-मंडल अधिकारी राजस्व, बिल्हा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
4. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन प्रभाग कोटा, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
5. भारत संघ, द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001।

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सिविल) 661/2017

श्रीमती कुसुम पंजवानी पति श्री शंकरलाल पंजवानी, उम्र लगभग 36 वर्ष, ग्राम बोदरी, पटवारी हलका क्रमांक 1, राजस्व मंडल बिल्हा, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. कलेक्टर, बिलासपुर, कलेक्ट्रेट, नेहरू चौक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।



तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:27320-डीबी

3. भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-उप-मंडल अधिकारी राजस्व, बिल्हा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
4. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन प्रभाग कोटा, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
5. भारत संघ, द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001।

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सिविल) 672/2017

विष्णु प्रसाद साहू पिता श्री भुक्कु साहू, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम बोदरी, पटवारी हलका क्रमांक 1, राजस्व जिला बिल्हा, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. कलेक्टर, बिलासपुर, कलेक्ट्रेट, नेहरू चौक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-उप-मंडल अधिकारी राजस्व, बिल्हा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
4. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन प्रभाग कोटा, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
5. भारत संघ, द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001।

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सिविल) 1650/2017

अशोक अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री जगमोहन दास अग्रवाल, उम्र लगभग 51 वर्ष, जैन मंदिर रोड, क्रांति नगर, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता





तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:27320-डीबी

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. कलेक्टर, बिलासपुर, कलेक्ट्रेट, नेहरू चौक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-उप-मंडल अधिकारी राजस्व, बिल्हा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
4. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन प्रभाग कोटा, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
5. भारत संघ, द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001।

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सिविल) 1722/2017

अशोक अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री जगमोहन दास अग्रवाल, उम्र लगभग 51 वर्ष, जैन मंदिर रोड, क्रांति नगर, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. कलेक्टर, बिलासपुर, कलेक्ट्रेट, नेहरू चौक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. भूमि अधिग्रहण अधिकारी-सह-उप-मंडल अधिकारी राजस्व, बिल्हा, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
4. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन प्रभाग कोटा, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।
5. भारत संघ, द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001।

----- उत्तरवादीगण





तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:27320-डीबी

रिट याचिका (सिविल) 2816/2016

मेसर्स जिंदल इन्फ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड पता-जबल गली, नेहरू नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, द्वारा सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, नई दिल्ली भारत।
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. कलेक्टर, जिला बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. कार्यालय प्रभारी, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोटा, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़।
5. उप-मंडल अधिकारी राजस्व, सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोटा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
6. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सिविल) 2813/2016

मनोज कुमार अग्रवाल पिता श्री पवन कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी जबल गली, नेहरू नगर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, द्वारा सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, नई दिल्ली भारत।
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. कलेक्टर, जिला बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. कार्यालय प्रभारी, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोटा, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़।
5. उप-मंडल अधिकारी राजस्व, सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोटा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।



तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:27320-डीबी

6. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सिविल) 2814/2016

श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल पति श्री पवन कुमार अग्रवाल उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी जब्बल गली, नेहरू नगर बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, द्वारा सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, नई दिल्ली भारत।
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. कलेक्टर, जिला बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
4. कार्यालय प्रभारी, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोटा, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़।
5. उप-मंडल अधिकारी राजस्व, सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोटा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
6. कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

----- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सिविल) 2087/2016

कमल जैन पिता श्री माणिकलाल जैन, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी दक्षिण एवेन्यू 22 बी, चौबे कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, द्वारा सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, नई दिल्ली भारत।
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।



तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:27320-डीबी

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास प्राधिकरण रायपुर, नया रायपुर छत्तीसगढ़ ।
4. कलेक्टर, जिला रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. उप-मंडल अधिकारी सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी, आरंग/अभनपुर रायपुर, छत्तीसगढ़।

----- उत्तरवादीगण

संबंधित याचिकाकर्ताओं हेतु :श्री अमृतो दास और श्री राकेश दुबे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री जुगल किशोर गिल्डा, महाधिवक्ता और श्री प्रफुल्ल एन. भरत,
अतिरिक्त महाधिवक्ता।

उत्तरवादी/भारत संघ हेतु :श्री बी. गोपा कुमार, सहायक महान्यायवादी।

डब्ल्यूपीसी क्रमांक 2087/2018 में उत्तरवादी क्रमांक 3/मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेतु :
श्री अनुमेह श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

माननीय श्री अजय कुमार त्रिपाठी, मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

30/10/2018

अजय कुमार त्रिपाठी, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

1. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान रिट आवेदनों में, दिनांक 04.12.2014 की अधिसूचना की वैधता और विधिमान्यता, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे आगे '2013 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 30(2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-4-28/7-1/2014 है, को चुनौती दी गई है। उक्त अधिसूचना अनुलग्नक पी/1 है। याचिकाकर्ता इस तथ्य से व्यथित हैं कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमि के लिए प्रतिकर की गणना में 1.00 (एक) का गुणक तय किया है। याचिकाकर्ताओं की भूमि उत्तरवादी/राज्य अधिकारियों द्वारा राज्य भर में विभिन्न कारणों से अर्जित की गई थी। अधिनिर्णय की गणना करते समय, उत्तरवादी अधिकारियों ने दिनांक 04.12.2014 की



तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:27320-डीबी

अधिसूचना (अनुलग्नक पी/1) को ध्यान में रखते हुए, 1.00 का गुणक लागू करने का निर्णय लिया, जबकि कानून में स्वयं 1.00 (एक) से 2.00 (दो) तक का गुणक प्रदान किया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त अधिसूचना विधि की भावना और उद्देश्य के विरुद्ध है, क्योंकि विधानमंडल ने स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्थान के आधार पर 1.00 से 2.00 तक गुणक निर्धारित किया है। ग्रामीण क्षेत्र सभ्यता से दूर या शहरी क्षेत्र जितना अधिक होगा, गुणक उतना ही अधिक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमि गांव के लोगों के लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत है और चूंकि दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का मूल्य कम है, इसलिए ऐसी भूमि के लिए उच्च गुणक द्वारा बेहतर क्षतिपूर्ति दिया जाना आवश्यक है।

4. बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा समान विवादक पर दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया, जो पंजाबराव पुत्र गणपतराव बोराडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के प्रकरण में खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आया था, जिसकी 2015 (6) एमएचएलजे 69 में प्रतिवेदित की गई थी।

5. अधिनियम 2013 की धारा 26(1) में कलेक्टर को उसमें निर्धारित मानदंडों को अपनाकर अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। अधिनियम 2013 की धारा 26 की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि धारा 26 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर द्वारा गणना किए गए बाजार मूल्य को प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा। त्वरित संदर्भ के लिए धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 26 की उपधारा (2) को पुनः प्रस्तुत करना उचित है:

"धारा 24 (1)... ..

(क) जहां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं किया गया है, वहां प्रतिकर का अवधारण किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे ; या

(ख)

(ग) "

"धारा 26 (1)... ..

(क)... ..

(ख)



(ग) "

(2) उपधारा () के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा।

....."

6. पंजाबराव (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में किलोमीटर में भिन्न दूरी के लिए 1.00 से 1.10 की सीमा तक के गुणक को अधिसूचित किया गया था। यह चुनौती का विषय बन गया कि क्या ऐसी अधिसूचना अधिनियम में प्रदान किए गए भिन्न गुणक कारक के पीछे विधायी आशय और उद्देश्य की कसौटी पर खरी उतरती है।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न तर्कों पर विचार करने के पश्चात, जो वर्तमान प्रकरणों में कमोबेश एक जैसे हैं, खंडपीठ गुणक प्रभाव पर अधिसूचना की वैधता के प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में देती है: -

"28. 2013 के अधिनियम की धारा 26 में मानदंड दिए गए हैं जिन्हें अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना की तिथि पर भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण करने के लिए कलेक्टर द्वारा अपनाया जाना चाहिए। धारा 26(2) में बाजार मूल्य को सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कारक से गुणा करने का प्रावधान है। धारा 26(2) को 2013 के अधिनियम की पहली अनुसूची के साथ पढ़ने पर यह अनिवार्य हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमि के बाजार मूल्य को शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर 1 (एक) से 2 (दो) के बीच के कारक से गुणा किया जाना चाहिए। इस प्रकार, पहली अनुसूची जिसका शीर्षक "भूमि स्वामियों के लिए क्षतिपूर्ति" है, में क्षतिपूर्ति पैकेज का घटक शामिल है और उस अनुसूची में क्रमांक 2 पर रखा गया पैकेज मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करता है जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में गुणक कारक के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए। यह मार्गदर्शक सिद्धांत, जैसा कि क्रमांक 2 पर क्षतिपूर्ति पैकेज से देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमि के लिए क्रमांक 2 परियोजना की शहरी क्षेत्र से दूरी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी क्षेत्र से सबसे दूर हैं, गुणक कारक दो होना आवश्यक है और जब परियोजना के अधीन कवर किया गया ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के करीब है, तो ऐसा गुणक कारक दो से कम और यहां तक कि एक तक हो जाता है, जब परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि शहरी क्षेत्र के सबसे करीब होती है। कोई इस प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सकता है कि किसी अधिनियम में अनुसूची केवल प्रारूपण का प्रश्न नहीं है और यह किसी भी अन्य भाग की तरह ही विधि का एक हिस्सा और अधिनियमन है।



याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता मिस तालेकर ने मेसर्स उजागर प्रिंट्स और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1989)3 एससीसी 488 और मेसर्स अफाली फार्मास्यूटिकल्स बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (1989) 4 एससीसी 378 पर सही ढंग से इस प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए भरोसा किया है।।

29. परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि के लिए दो तक उच्च गुणक कारक प्रदान करने के पीछे मूल कारण यह है कि लोग अपने जीवन यापन और आजीविका के लिए ऐसी भूमि पर निर्भर हैं, साथ ही शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि की तुलना में ऐसी दूर स्थित भूमि का बाजार मूल्य कम है। ग्रामीण क्षेत्र में अर्जित की जाने वाली भूमि की शहरी क्षेत्र से दूरी को ध्यान में रखते हुए बाजार मूल्य को उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कारक से गुणा करने का प्रावधान करके उचित संतुलन प्राप्त किया गया प्रतीत होता है, ताकि अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं और कृषि और ग्रामीण आजीविका की स्थिरता प्रदान की जा सके। इस कारण से, प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 2 में शहरी क्षेत्र से उनकी दूरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में उच्च गुणक कारक प्रदान किया गया है। इसलिए, जैसे-जैसे ग्रामीण क्षेत्र से अर्जित की जाने वाली भूमि की दूरी शहरी क्षेत्र से बढ़ती है, गुणक कारक को उचित रूप से बढ़ाया जाना आवश्यक है। यह देखा गया है कि पुराने अधिनियम अर्थात् 1894 के अधिनियम में गुणक के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसी तरह, यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 2013 के अधिनियम की धारा 30 में कुल क्षतिपूर्ति के 100% पर क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है, जिसका भुगतान किया जाना आवश्यक है। 1894 के अधिनियम में भूमि के बाजार मूल्य पर केवल 30% की दर से क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान था।

30. 2013 का अधिनियम और विशेष रूप से इसकी धारा 106 यह स्पष्ट करती है कि केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की किसी भी अनुसूची में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है, जिसमें प्रथम अनुसूची भी शामिल है, जिससे देय क्षतिपूर्ति को कम किया जा सके या क्षतिपूर्ति या पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर किया जा सके। 2013 के अधिनियम की धारा 107 राज्य विधानमंडल को अधिनियम के अधीन उल्लिखित पात्रता को बढ़ाने या जोड़ने के लिए कोई भी नियम बनाने का अधिकार देती है, जो 2013 के अधिनियम के अधीन देय क्षतिपूर्ति से अधिक क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल 2013 के अधिनियम के अधीन दिए गए क्षतिपूर्ति से अधिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाला कोई भी कानून बना सकता है। 2013 के अधिनियम की धारा 108 प्रभावित परिवारों को बेहतर क्षतिपूर्ति और पुनर्वास और पुनर्स्थापन का लाभ



उठाने का विकल्प प्रदान करती है, यदि राज्य कानून या नीति ऐसा प्रदान करती है। ऐसा लगता है कि यह बात जोर देती है कि क्षतिपूर्ति 2013 के अधिनियम के अधीन निर्धारित क्षतिपूर्ति से कम नहीं हो सकता। उत्तरवादी/राज्य के शपथ-पत्र से यह देखा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 - राजस्व और वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.8.2014 के अनुसार, राज्य द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद धारा 108 के अधीन एक नीति तैयार की गई है। उत्तरवादी/राज्य द्वारा धारा 108 के अधीन तैयार की गई उक्त नीति के भाग 1 में भूमि मूल्यांकन का प्रावधान है। इस नीति के खंड 2 और 3 को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वे इस प्रकार हैं:-

"2. भूमि के बाजार मूल्य को गुणा करने वाला गुणन कारक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रकरण में 1.20 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1.10 होगा। (यह कारक राज्य द्वारा अनुमोदित गुणक से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।)

3. ग्रामीण क्षेत्र में अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षतिपूर्ति: (बाजार मूल्य x 1.20) + (भूमि या भवन से जुड़ी परिसंपत्तियों का मूल्य) + (100% क्षतिपूर्ति) = भूमि क्षतिपूर्ति मूल्य।

शहरी क्षेत्र में अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षतिपूर्ति:

(बाजार मूल्य x 1.10) + (भूमि या भवन से जुड़ी परिसंपत्तियों का मूल्य) + (100% क्षतिपूर्ति) = भूमि क्षतिपूर्ति।

31. यह सर्वविदित है कि किसी भी कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और कानून के प्रत्येक खंड को अधिनियम के संदर्भ और अन्य खंडों के संदर्भ में निर्मित किया जाना चाहिए। आमतौर पर, विधानमंडल का उद्देश्य वही होता है जो वह कानून में प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से अपना उद्देश्य बताता है। 2013 के अधिनियम में, जैसा कि इसके प्रावधानों से देखा जा सकता है, क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित प्रावधानों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यहां तक कि यह क्षतिपूर्ति के भुगतान या पुनर्वास या पुनर्स्थापन से संबंधित उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी करता है। उक्त अधिनियम की धारा 85 में यह प्रावधान करके दंड निर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति के भुगतान आदि से संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे छह महीने की सजा दी जाएगी जो 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि 2013 के अधिनियम की पूरी योजना पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है जो राज्य द्वारा भूमि अर्जन की स्थिति में



भूमि स्वामियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह राज्य की राजकोषीय या आर्थिक नीति जैसे कर देयता में वृद्धि से संबंधित कोई नियम नहीं है। इस प्रकार 2013 के अधिनियम के प्रावधान इस विषय के पक्ष में उदार व्याख्या के पात्र हैं। 2013 का अधिनियम भूमि धारकों को देय क्षतिपूर्ति की न्यूनतम मात्रा का प्रावधान करता है और साथ ही साथ यह विभिन्न सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है ताकि अधिनियम के अधीन देय क्षतिपूर्ति के प्रावधानों को किसी भी रणनीति को अपनाकर कमजोर न किया जाए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कल्याणकारी कानून की व्याख्या करते समय, न्यायालय को ऐसे कानून को यथासंभव व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता होती है, जिसकी भाषा अनुमति देती है। कार्यकारी अभियंता दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी उड़ीसा लिमिटेड और अन्य बनाम श्री सीताराम राइस मिल्स (2012) 2 एससीसी 108 में प्रतिवेदित किए गए प्रकरण में, यह माना जाता है कि विधायी इतिहास और उद्देश्य किसी विधि के प्रावधानों के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। इसी तरह, उद्देश्यों और कारणों के कथन को भी देवचंद बिल्डर्स और ठेकेदार बनाम भारत संघ और अन्य (2012) 1 एससीसी 201 में प्रतिवेदित किए गए प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि की व्याख्या करते समय एक आंतरिक सहायता माना जाता है।

33. ग्रामीण क्षेत्र में सभी भूमि के लिए एक निश्चित गुणक प्रदान करना जो शहरी क्षेत्र (निकटतम नगर निगम क्षेत्र) से 25 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं, उत्तरवादी/राज्य द्वारा 2013 के अधिनियम की पहली अनुसूची में दिए गए विवेक का प्रयोग करते समय पूरी तरह से गैर-विवेक का प्रदर्शन दर्शाता है। पहली अनुसूची द्वारा दिए गए गुणक को तय करने के लिए विवेक का प्रयोग करने के लिए नीति दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र से अर्जन के अधीन भूमि की दूरी है। ग्रामीण क्षेत्र की सभी भूमियों के संबंध में 1.10 का निश्चित गुणक निर्धारित करना, जो शहरी क्षेत्र से 25 या उससे अधिक किलोमीटर दूर हैं, ऐसे किसी भी दिशा-निर्देश या नीति के अभाव में, विवेक का गलत प्रयोग और पूरी तरह से दिमाग का प्रयोग न करने को दर्शाता है और यह अनुच्छेद 14 के अधीन संवैधानिक जनादेश के विपरीत है। उत्तरवादी/राज्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की सभी भूमियों के लिए गुणक कारक को केवल 1.10 तक सीमित करने का प्रयोग, जो शहरी क्षेत्र से 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, यह दर्शाता है कि उत्तरवादी/राज्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि की शहरी क्षेत्र से दूरी के सुसंगत कारक पर विचार करने में विफल रहा है। शहरी क्षेत्र से दूरी के बहुत सुसंगत कारक को उत्तरवादी/राज्य द्वारा आधे-अधूरे मन से किए गए प्रयोग द्वारा विचार से बाहर रखा गया लगता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लगभग 20601 गांव निकटतम



नगर निगम क्षेत्र से 25 किलोमीटर की दूरी से ऊपर स्थित हैं। इस तर्क के साथ, गुणक कारक 1.10 पर लिखा गया है, हालांकि पहली अनुसूची में प्रावधान है कि शहरी क्षेत्र से परियोजना की वास्तविक दूरी के आधार पर इसे 1 से 2 तक होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से दूर स्थित भूमि की कम बाजार कीमत के लिए उच्च गुणक के प्रावधान की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि 1 (एक) से 2 (दो) तक के गुणक के प्रावधान का उद्देश्य यही है। शहरी भूमि से 25 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित सभी ग्रामीण भूमि के लिए गुणक कारक 1.10 पर तय करने से उन भूमि धारकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है जिनकी भूमि शहरी क्षेत्र से दूर स्थित है। एक भू-धारक जिसकी भूमि शहरी क्षेत्र से मात्र 25 किलोमीटर दूर है, उसे अब वही गुणक कारक लागू करके क्षतिपूर्ति मिलेगा जो एक भू-धारक को मिलेगा जिसकी भूमि बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, जैसे कि निकटतम शहरी क्षेत्र से 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर से अधिक दूर। विवेक के इस मनमाने प्रयोग से 2013 के अधिनियम का उद्देश्य उन भू-धारकों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान करना विफल हो गया है जिनकी भूमि सबसे दूरस्थ स्थान पर स्थित है। 2013 के अधिनियम की पहली अनुसूची द्वारा प्रदत्त विवेक के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए, उत्तरवादी/राज्य की ओर से यह आवश्यक था कि वह निकटतम शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी भूमि की सटीक दूरी की गणना करने के लिए सर्वेक्षण करे और फिर ऐसी वास्तविक दूरी के आधार पर गुणक कारक निर्धारित किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र से रेडियल दूरी की गणना करने की पद्धति अपनाना भी अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची में गुणक निर्धारण के लिए उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। यहां तक कि इस प्रकरण में भी, अर्जन के लिए प्रस्तावित याचिकाकर्ता की भूमि जालना शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बताई गई है। फिर भी, उसे अधिसूचना दिनांक 13.8.2014 को ध्यान में रखते हुए केवल 1.10 का गुणक कारक मिलेगा।

34. सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की निकटतम शहरी क्षेत्र (निकटतम नगर निगम क्षेत्र) से वास्तविक दूरी का आकलन और गणना करने के सुसंगत कारक की अनदेखी करके और अधिकतम गुणक को केवल 1.10 पर निर्धारित करके, उत्तरवादी/राज्य ने अधिनियम 2013 की धारा 26(2) के साथ-साथ प्रथम अनुसूची के खंड 2 के अधीन उसे दिए गए विवेक का प्रयोग करने से वस्तुतः इनकार कर दिया है। इस प्रकार, धारा 26(2) और अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची में व्यक्त विधानमंडल की इच्छा को उत्तरवादी/राज्य द्वारा उसके वास्तविक अर्थ में क्रियान्वित नहीं किया गया है।



35. अर्जित किए जाने वाले प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच की दूरी के आधार पर गुणक कारक को दी गई सीमा अर्थात् 1 से 2 तक निर्धारित किया जाना आवश्यक था और शहरी क्षेत्र से दूरी और वह भी रेडियल की गणना करने के अभ्यास को केवल 25 किलोमीटर तक सीमित करके, उत्तरवादी/राज्य ने 2013 के अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को विफल कर दिया है। इस बिंदु पर, यह ध्यान रखना सुसंगत है कि 2013 के अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों के अनुसार, यहां तक कि केंद्र सरकार भी देय क्षतिपूर्ति को कम करने या क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधानों को कमजोर करने के लिए 2013 के अधिनियम की किसी भी अनुसूची में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है। शहरी क्षेत्र से 25 किलोमीटर से अधिक की रेडियल दूरी पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र की सभी भूमियों के लिए गुणक कारक 1.10 निर्धारित करके, राज्य ने वस्तुतः भूमि धारकों को देय क्षतिपूर्ति की राशि को कम करने के लिए 2013 के अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन किया है। 2013 के अधिनियम की पहली अनुसूची उस कानून का अभिन्न अंग है और राज्य सरकार एक उपयुक्त सरकार होने के नाते केवल ग्रामीण क्षेत्र की सभी भूमियों के लिए 1.10 का अधिकतम गुणक कारक निर्धारित नहीं कर सकती थी, जो शहरी क्षेत्र से 25 किलोमीटर से अधिक दूर हैं। इसी तरह, 19.3.2014 की पूर्व अधिसूचना (प्र. डी) द्वारा गुणक को 1 निर्धारित करने में उत्तरवादी/राज्य का कार्य शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के सुसंगत कारक पर विचार करने की अनदेखी करके पहली अनुसूची द्वारा प्रदत्त विवेक का प्रयोग करने से पूर्ण इनकार को दर्शाता है।

45. यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अधिसूचनाएँ या नियम जो प्रत्यायोजित विधान के उदाहरण हैं, वैधानिक अधिदेश को रद्द नहीं कर सकते। अधीनस्थ विधान को विधान का पूरक होना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए। वासु देव सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के प्रकरण में, (2006) 12 एससीसी 753 में प्रतिवेदित किया गया, और विशेष रूप से, उक्त निर्णय के पैरा 26 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि किसी अधिसूचना द्वारा, अधिनियम स्वयं समाप्त हो जाता है; तो ऐसी अधिसूचना को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा 118 में आगे कहा गया है कि विधानमंडल द्वारा किसी विधान को संशोधित, आंशिक रूप से निरस्त या पूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है - प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग, यह सामान्य बात है, आवश्यक विधायी नीति के मापदंडों के भीतर किया जाना चाहिए। विधान द्वारा दिए गए लाभ को उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह पहलू कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एच. गणेश कामथ और अन्य, (1983) 2 एससीसी 402 में प्रतिवेदित किए गए, और केरल



संस्थान चेतु थोझिलाली संघ बनाम केरल राज्य, (2006) 4 एससीसी 327 में प्रतिवेदित प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2013 के अधिनियम की पहली अनुसूची के खंड 2 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह शहरी क्षेत्रों से इसकी दूरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के बाजार मूल्य को गुणा करने के लिए गुणक कारकों के विभिन्न स्लैब के निर्धारण के संबंध में विवेकाधिकार निर्धारित करता है। गुणक कारक को 2 से नीचे के आंकड़े तक सीमित करने के लिए न तो कोई विवेकाधिकार और न ही संगत दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार, संबंधित अधिसूचनाओं में परिलक्षित उपयुक्त सरकार के निर्णय को यथावत नहीं रखा जा सकता है। यह कानून की दृष्टि से भी अनुचित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए तथा अपास्त किया जाना चाहिए।”

8. राज्य का रुख निम्नलिखित रूप में है:-

“5. उत्तर देने वाले उत्तरवादियों की ओर से यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि विषय अर्जित अरपा भैसाझार के लिए मुख्य नहर के निर्माण के लिए है जो रैखिक प्रकृति की परियोजना है और राज्य सरकार की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। उक्त परियोजना पूरी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य की परियोजना है और इसका लक्ष्य 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है और यह आसपास के क्षेत्र के 102 गांवों के कृषकों के लिए फायदेमंद होगी। यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकरण में उपयुक्त सरकार छत्तीसगढ़ राज्य है, इसलिए, अधिसूचना दिनांक 04/12/2014 जिसमें कारक एक निर्धारित किया गया है, लागू होगी। यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 04/12/2014 में कोई अवैधानिकता नहीं है क्योंकि इसे विधि के अनुसार और धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन प्रदान की गई शक्ति के प्रयोग में जारी किया गया है, जिसे एस. क्रमांक 2 अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची में की गई प्रविष्टि के साथ पढ़ा गया है। उक्त अधिसूचना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है तथा उक्त अधिसूचना जारी करते समय राज्य सरकार ने सभी सुसंगत कारकों को ध्यान में रखा है। अत्यंत सम्मानपूर्वक यह निवेदन किया जाता है कि यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उक्त अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी स्थिति में बंजर भूमि के प्रकरण में (क्षतिपूर्ति और ब्याज सहित) देय क्षतिपूर्ति 6 लाख रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं होगा, असिंचित एकल फसली भूमि के प्रकरण में 8 लाख रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं होगा तथा सिंचित दोहरी फसली भूमि के प्रकरण में 10 लाख रुपये प्रति एकड़ से कम नहीं होगा, जैसा कि राज्य की पुनर्वास नीति, 2007 के प्रावधान के अनुसार है। उक्त प्रावधान को विशेष रूप से



छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी पुनर्वास नीति, 2007 के आलोक में रखा गया है, जिसका उद्देश्य प्रभावित लोगों का अधिकतम कल्याण है।

6. यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का संपूर्ण मामला भारत संघ द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09/02/2016 (अनुलग्नक पी/6) पर आधारित है, जिसमें कारक को 2 पर रखा गया है, उक्त अधिसूचना की इस प्रकरण में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह अधिसूचना केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जहां अधिग्रहण संघ की परियोजनाओं के लिए है, जबकि इस प्रकरण में अरपा भैसाझार परियोजना पूरी तरह से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की परियोजना है और राज्य द्वारा जारी अधिसूचना अनुलग्नक पी/1 लागू होगी। यह भी अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि विधानमंडल ने जानबूझकर शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर कारक को 1.00 (एक) से 2.00 (दो) तक निर्धारित किया है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है और इस प्रकरण में विषय भूमि शहरी क्षेत्र से मुश्किल से 8 किलोमीटर दूर है। यह निर्णय न्यायसंगत और उचित है तथा इसमें माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. उत्तर देने वाले उत्तरवादियों की ओर से यह भी अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग ने दिनांक 08/05/2017 के पत्र (अनुलग्नक आर/1) के माध्यम से अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची में प्रदत्त गुणन कारक की प्रयोज्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है तथा उक्त स्पष्टीकरण बिंदु क्रमांक 2(1)(ए) के अनुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के क्षेत्र में स्थित भूमि के अधिग्रहण के लिए उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है, इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि दिनांक 4 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी/1) अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त सरकार द्वारा जारी की गई है तथा यह उचित और न्यायसंगत है।”

9. उपरोक्त तर्कों और राज्य के रुख को ध्यान में रखते हुए, हम इस तथाकथित स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं कि क्यों पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 1.00 के गुणक को अंगूठे के नियम के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। 1.00 और 2.00 के बीच परिवर्तनशील घटक के पीछे का मूल उद्देश्य और आशय, यदि छीना नहीं गया है तो, खो गया है।

10. इसके अलावा, प्रश्न राज्य सरकार की ऐसी अधिसूचना जारी करने की शक्ति के बारे में नहीं है, प्रश्न यह है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग किस तरह किया गया है, जिसे शक्ति का बिना सोचे-समझे प्रयोग



तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:27320-डीबी

भी कहा जा सकता है, क्योंकि गुणक कारक को 1.00 तक सीमित करके, राज्य स्पष्ट रूप से सभी भूमि स्वामियों को एक समक्षने की कोशिश कर रहा है। यह दूरदराज के गांवों के गरीब भूमि स्वामियों को उचित क्षतिपूर्ति और पुनर्वास से वंचित करेगा, जो कि 2013 के नए भूमि अर्जन अधिनियम के पीछे प्राथमिक उद्देश्य है।

11. बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सादृश्य बनाते हुए, जिसे हमने उचित अनुमोदन के साथ उद्धृत किया है, न्यायालय के पास अनुलग्नक पी/1 में निहित दिनांक 04.12.2014 की अधिसूचना को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यह निर्देश जारी किया जाता है कि उभरने वाली विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार विधिक स्थिति और निर्णय में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार गुणक कारकों को इंगित करते हुए एक नई अधिसूचना जारी करेगी।

12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न केवल इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में सभी अधिनिर्णय और क्षतिपूर्ति, बल्कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी भूमि अर्जित की गई है और क्षतिपूर्ति की गणना के लिए 1.00 का गुणक प्रयोग किया गया है, उन्हें नई अधिसूचना के प्रकाश में संशोधित और पुनरीक्षित करने की आवश्यकता होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

13. उपरोक्त शर्तों के अनुसार सभी रिट आवेदनों को स्वीकार जाती है।

सही/-

(अजय कुमार त्रिपाठी)

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।